रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940
No. 214] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि. 335(अ).—राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 24-ख के साथ पठित धारा 30-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला फोरम पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "अधिनियम" से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) अभिप्रेत है;

(ii) "नियम" से उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 अभिप्रेत हैं;

(iii) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम या नियमों में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः इस अधिनियम या नियमों में दिए गए हैं।

3. **कार्य का अनुपालन** - राज्य आयोग और जिला फोरम प्रत्येक कार्य दिवस पर पर्याप्त मामलों को सूचीबद्ध करेंगे जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के विनियम 5 में यथा विहित सुनवाई के घंटों से पूर्व कार्य समाप्त न हो।

4. **राज्य आयोग का निरीक्षण** - (1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य प्रत्येक राज्य आयोग का निरीक्षण कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार करेगा और इस निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे, ऐसे निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, राज्य आयोग को ऐसे प्रशासनिक निदेश जारी कर सकेगा, जो उसे, राज्य आयोग का कार्यकरण बेहतर बनाने और इसकी अर्द्ध-न्यायिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने लिए उपयुक्त प्रतीत होते हों।

(3) राज्य आयोग उप-विनियम (2) के अधीन जारी निदेशों का शीघ्रता से पालन करेगा।

5. **जिला फोरम का निरीक्षण** - (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले प्रत्येक जिला फोरम का निरीक्षण कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार करेगा और इस निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे, ऐसे निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर राज्य आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य आयोग का अध्यक्ष, जिला फोरम का कार्यकरण बेहतर बनाने और इसकी अर्द्ध-न्यायिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने लिए उपयुक्त प्रतीत होते हों।

(3) जिला फोरम उप-विनियम (2) के अधीन जारी निदेशों का शीघ्रता से पालन करेगा।

(4) उप-विनियम (2) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेशों की एक प्रति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को भी प्रेषित की जाएगी।

6. **प्रशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सिफारिश** - (1) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी ऐसी जाँच, यदि कोई हो, के पश्चात, जो वह उपयुक्त समझे, ऐसे यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश संबंधित राज्य सरकार से कर सकेगा।

(2) राज्य आयोग का अध्यक्ष, जिला फोरम के अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी ऐसी जाँच, यदि कोई हो, के पश्चात, जो वह उपयुक्त समझे, यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य, के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश संबंधित राज्य सरकार से कर सकेगा तथा ऐसी सिफारिशों की एक प्रति राष्ट्रीय आयोग को प्रेषित करेगा।

7. **शिकायत स्वीकार करना** - शिकायत के पंजीयन के 14 दिनों के भीतर, इसकी सुनवाई, यथास्थिति राज्य आयोग या जिला फोरम द्वारा की जाएगी, और ऐसी शिकायत के पंजीयन के इक्कीस दिनों के भीतर, ऐसे राज्य आयोग या जिला फोरम द्वारा या तो इसे स्वीकार किया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा और अगर शिकायत पंजीयन के इक्कीस दिनों के भीतर स्वीकृत या खारिज नहीं की जा सकती हो, तो यथास्थिति राज्य आयोग या जिला फोरम, ऐसे विलंब के लिए कारणों का उल्लेख करेगा।

8. **आदेश अपलोड करना** - राज्य आयोग और जिला फोरम उनके द्वारा सुनाए गए अंतिम आदेशों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर, ऐसे आदेशों के जारी होने के सात दिनों के भीतर, अपलोड करेंगे।

9. **लंबित मामले अपलोड करना** - राज्य आयोग और जिला फोरम प्रत्येक मास की सात तारीख तक अपनी-अपनी वेबसाइट पर लंबित मामलों के, जिनमें बहस हो चुकी है परंतु आदेश, 45 दिन से अधिक हो जाने पर नहीं सुनाया गया हो, के विवरण अपलोड करेंगे।

[फा. सं. ए-105/रा.उ.वि.नि.आ. /2018]

अजय कुमार कुहार, पंजीयक

NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2018

G.S.R. 335(E).—In exercise of the powers conferred by section 30-A of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), read with section 24-B, the National Consumer Disputes Redressal Commission with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.** — (1) These regulations may be called the Consumer Protection (Administrative Control Over the State Commission and the District Forum) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. - In these Regulations, unless the context otherwise requires, —

(i) "Act" means the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986);

(ii) "Rules" mean the Consumer Protection Rules, 1987;

(iii) words and expressions used in these Regulations and not defined herein but defined either in the Act or in the Rules shall have the same meaning respectively assigned to them either in the Act or in the Rules, as the case may be.

3**.** **Observance of work.** – (1) The State Commission and the District Forum shall list sufficient matters on each working day, to ensure that the work does not finish before the close of the hearing hours as prescribed in Regulation 5 of the Consumer Protection Regulations, 2005.

4. **Inspection of State Commission**. — (1) The President or a Member of the National Commission duly authorised by him shall inspect each State Commission at least once in a calendar year and prepare a report of such inspection and submit the same to the National Commission within fifteen days of such inspection.

(2) On receipt of the inspection report, the President of the National Commission may issue such administrative directions to the State Commission, as may be deemed appropriate by him, to improve the functioning of the State Commission and to achieve the objects and purposes of the Act, without interfering with its quasi-judicial freedom.

(3) The State Commission shall expeditiously comply with the directions issued under sub-regulation (2).

5. **Inspection of the District Forum.** — (1) The President or a Member of the State Commission duly authorised by him shall inspect each District Forum under its administrative control, at least once in a calendar year and prepare a report of such an inspection and submit the same to the State Commission within fifteen days of such inspection.

(2) On receipt of the inspection report, the President of the State Commission may issue such administrative direction to the District Forum, as may be deemed appropriate by him to improve the functioning of the District Forum and to achieve the objects and purposes of the Act without interfering with its quasi-judicial freedom.

(3) The District Forum shall expeditiously comply with the directions issued under sub-regulation (2) .

(4) A copy of the directions issued by the President of the State Commission under sub-regulation (2) shall also be forwarded to the President of the National Commission.

6. **Recommendation to State Government for Administrative Action.–**(1) The President of the National Commission, may, on receipt of a complaint against the President or a Member of a State Commission, after making such inquiry, if any, as he may deem appropriate, recommend to the concerned State Government for taking suitable administrative action against such President or member, as the case may be.

(2) The President of a State Commission, may, on receipt of a complaint against the President or a Member of the District Forum, after making such inquiry, if any, as he may deem appropriate, recommend to the concerned State Government for taking suitable administrative action against such President or member, as the case may be, and a copy of such recommendation shall also be forwarded to the National Commission.

7. **Admission of a Complaint** - Within fourteen days of the registration of a complaint, it shall be heard by the State Commission or the District Forum, as the case may be, and within twenty-one days of such registration, shall either be admitted or rejected by such State Commission or District Forum and if the complaint cannot be admitted or rejected within twenty-one days of its registration, the State Commission or the District Forum, as the case may be, shall record reasons for such delay.

8. **Uploading of orders** - The State Commission and the District Forum shall upload final orders pronounced by them, on their respective websites, within seven days of the pronouncement of such order.

9. **Uploading of pending matters** - The State Commission and the District Forum shall upload, on their respective websites by the 7th day of each month, the particulars of the pending matters, in which arguments have been heard, but the order has not been pronounced for more than forty-five days.

[F. No. A-105/NCDRC/2018]

AJAY KUMAR KUHAR, Registrar

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.11 17:40:44 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.